

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 33 / 2021

दायर दिनांक 18.11.2021

उनवान		
बख्तावर सिंह	बनाम	लहर कुंवर

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 जा0 दी0 :—

निर्णय दिनांक: 21.09.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर | हाजिर होकर बहस एक तरफ़ा बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस प्रार्थना पत्र एक तरफ़ा सुनी गयी | दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया की वाद संख्या 240/2008 में दिनांक 06-08-2021 को अदम हाजिरी में प्रार्थी का क्रॉस वाद खारिज हुआ। उक्त दिनांक को प्रार्थी बुखार से पीड़ित था। व् मै स्वयं अपने भाई को गीतांजली हॉस्पिटल उदयपुर में सिर का ऑपरेशन होने से गया हुआ था | उक्त पेशी को मै और मेरा प्रार्थी जानबुझकर अनुपस्थित नही हुए | अतः क्रॉस वाद को न्यायहित में पुनः नंबर पर लिया जाना आवश्यक व् न्यायोचित है | हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया | प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 240/2008 में क्रॉस वाद पुनः नंबर पर लिया जाता है | प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ सलग्न रहे | पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो | आदेश सुनाया गया |



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन